कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

निर्देश

क्रमॉक /604 /अति.जि.दण्डा./2020 दुर्ग, दिनॉक 02/10/2020

नोवल कोराना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए तथा वर्तमान में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृध्दि हो रही है, जिसे रोकने एवं नियंत्रण में रखने हेतु सभी संबंधित उपाय अमल में लाया जाना उचित एवं आवश्यक हो गया है । अतएव आगामी दशहरा पर्व में पुतला दहन के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :–

01. पुतलों की उंचाई 10 फिट से अधिक न हो ।
02. पुतला दहन किसी बस्ती रहवासी इलाके में न किया जावे ।
03. पुतला दहन खुले स्थान पर किया जावे ।
04. पुतला दहन कार्यक्रम में समिति के मुख्य पदाधिकारी सहित किसी भी हाल में 50 व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे ।
05. आयोजन के दौरान केवल पूजा करने वाले व्यक्ति शामिल होंगे । अनावश्यक भीड़ एकत्रित न होने देने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी । कार्यक्रम का यथासंभव ऑनलाईन माध्यमों आदि से प्रसारण किया जावे ।
06. पुतला दहन के दौरान आयोजन का वीडियोग्राफी कराय जावे तथा आयोजक एक रजिस्टर संधारित करेंगे एवं पुतला दहन कार्यक्रम में आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता मोबाईल नंबर दर्ज किया जावेगा एवं आयोजन करने वाले व्यक्ति अथवा समिति 04 सीसीटीवी लगायेगा, ताकि उनमें से काई भी व्यक्ति कोराना संक्रमित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके ।
07. प्रत्येक समिति/आयोजक समय पूर्व सोशल मीडिया में यह जानकारी देवें कि कोविड–19 कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम सीमित रूप से किया जायेगा ।
08. पुतला दहन में कहीं भी सांस्कृतिक कार्यकम्र, स्वागत, भंडारा, प्रसाद वितरण, पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी ।
09. आयोजन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल/फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना एवं समय–समय–पर सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा ।
10. रावण दहन स्थल से 100 मीटर के दायरे में आवश्यकतानुसार अनिवार्यतः बेरिकेटिंग कराया जावे ।
11. आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे, धुमाल, बैंड पार्टी बजाने की अनुमति नहीं होगी । रावण पुतला दहन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज–सज्जा, झांकी की अनुमति नहीं होगी ।
12. अनुमति उपरांत समिति व्दारा सैनेटाईजर थर्मल स्किनिंग, आक्सीमीटर, हैंडवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी । थर्मल स्किनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोराना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर कार्यक्रम में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी समिति/आयोजकों की होगी ।
13. कार्यक्रम आयोजन के दौरान अग्नि शमन की पर्याप्त व्यवस्था अनिवार्यतः किया जाना होगा ।

P.A. col.

Scanned by CamScanner

14. आयोजन के दौरान यातायात नियमों का पालन किया जावे । किसी प्रकार का यातातयात बाधित न हो यह सुनिश्चित किया जावे ।
15. आयोजन के दौरान एन.जी.टी. व शासन के व्दारा प्रदूषण नियंत्रण के लिये निर्धारित मानकों, कोलाहल अधिनियम, भारत सरकार, माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होगा, नियमों के उल्लंघन करने पर समिति/आयोजक जिम्मेदार होंगे ।
16. यदि कोई व्यक्ति जो पुतला दहन स्थल पर जाने के कारण संक्रमित हो जाता है, तो इलाज का संपूर्ण खर्च पुतला दहन आयोजकों/समिति व्दारा किया जावेगा ।
17. कंटेनमेंट जोन में पुतला दहन की अनुमति नहीं होगी । यदि पुतला दहन कार्यक्रम के अनुमति के पश्चात् उपरोक्त क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है, तो तत्काल कार्यक्रम निरस्त माना जायेगा एवं कंटेनमेंट जोन के समस्त निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा ।
18. एक आयोजन स्थल से दूसरे आयोजन स्थल की दूरी 500 मीटर से कम न हो ।
19. आयोजन स्थल के लिये पहले आओ पहले पाओ नीति के तहत् पहले प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता दी जावेगी ।
20. इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनॉक 4 जून, 2020 के अन्तर्गत जारी एसओपी का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा ।
21. उपरोक्त दिये गये किसी शर्तों का उल्लंघन अथवा किसी प्रकार के अव्यवस्था होने पर इसकी समस्त जिम्मेदारी आयोजन समिति की होगी, जिनके विरूध्द वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।
22. उपरोक्त शर्तों के अधीन 10 दिवस के पूर्व नगर पालिक निगम के संबंधित जोन कार्यालय में निर्धारित शपथ पत्र मय आवेदन देना होगा एवं अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही पुतला दहन की अनुमति होगी ।

यह निर्देश तत्काल प्रभावशील होगा तथा निर्देश के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकुल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत् कठोर कार्यवाही की जावेगी ।

(डॉ0 सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे)
कलेक्टर,
एवं जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग

जिला दण्डाधिकारी
दुर्ग

Scanned by CamScanner

पृ0क्रमॉक /604/ अति.जि.दण्डा. / 2020 दुर्ग, दिनॉक 02 / 10 / 2020

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज, भिलाई की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।
4. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर/यातायात, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. सर्वसंबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. सर्व नगर पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. सर्व थाना प्रभारी, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हतु ।
9. उप संचालक, जन सम्पर्क, दुर्ग को सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,

जिला दण्डाधिकारी

दुर्ग

Scanned by CamScanner